उर्दू प्रेस की समीक्षा और विश्लेषण

वर्ष 9 | अंक 9 | 1-15 मई 2026 | ₹ 20/-

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला को हिंदुओं को सौंपने का आदेश

- विधानसभा चुनाव परिणामों पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया
- पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट के हमले तेज
- यूएई द्वारा भारत में पांच अरब डॉलर निवेश की घोषणा
- पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते खुले रखने का समर्थन

परामर्शदाता
डॉ. कुलदीप रतनू

सम्पादक
मनमोहन शर्मा*

सम्पादकीय सहयोग
शिव कुमार सिंह

कार्यालय
डी–51, प्रथम तल,
हौज खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाषः 011–79687620

E-mail:
info@ipf.org.in
indiapolicy@gmail.com

Website:
www.ipf.org.in

मुद्रक–प्रकाशकः मनमोहन शर्मा द्वारा भारत नीति प्रतिष्ठान के लिए डी–51, प्रथम तल, हौज खास, नई दिल्ली–110016 से प्रकाशित तथा साई प्रिंटओ पैक प्रा.लि., ए–102/4, ओखला इंडस्ट्रीयल एरिया, फेस–2, नई दिल्ली–110020 से मुद्रित

*अनुवाद के लिए पूरी तरह जिम्मेदार

अनुक्रमणिका

सारांश 03

राष्ट्रीय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला को हिंदुओं को सौंपने का आदेश 04
पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते खुले रखने का समर्थन 11
विधानसभा चुनाव परिणामों पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया 15
विधानसभा के चुनावों में 107 मुस्लिम उम्मीदवार जीते 19
कर्नाटक की शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पर प्रतिबंध रद्द 21

विश्व

पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट के हमले तेज 24
शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद भ्रष्टाचार के आरोप से बरी 25
नेपाल में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर रोक 26
बांग्लादेश में गंभीर वित्तीय संकट 27
ऑस्ट्रेलिया की मस्जिद में नमाजियों की हत्या की धमकी 27

पश्चिम एशिया

यूएई द्वारा भारत में पांच अरब डॉलर निवेश की घोषणा 28
यूएई के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला 29
इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा 31
इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले 32
ग्रेटर इजरायल योजना की आलोचना 33

सारांश

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने धार में स्थित भोजशाला को माता सरस्वती (वाग्देवी) का मंदिर मानते हुए इस परिसर को हिंदुओं को सौंपने का ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। इसके साथ ही अदालत ने इस परिसर में मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद हिंदू श्रद्धालुओं ने भोजशाला परिसर में नियमित पूजा-पाठ शुरू कर दिया है। पिछले कई दशकों से हिंदू पक्ष इस ऐतिहासिक स्मारक को हिंदुओं के हवाले करने की मांग करता आ रहा था। उनका दावा है कि इस ऐतिहासिक भवन का निर्माण महाराजा भोज ने 11वीं शताब्दी में करवाया था। 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला पर पहला बड़ा हमला किया था और इस परिसर के एक बड़े हिस्से को नष्ट कर दिया था। बाद में मालवा के मुस्लिम शासकों ने इसे मस्जिद का रूप दे दिया। उल्लेखनीय है कि उस दौर में एक इस्लामी प्रचारक मौलाना कमालुद्दीन (कमाल मौला) मालवा इलाके में सक्रिय थे। जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्हें भोजशाला परिसर में दफनाया गया। बाद में इसे कमाल मौला मस्जिद कहा जाने लगा।

हाल ही में आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने 'पीटीआई' को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। दोनों देशों को एक-दूसरे के नागरिकों को वीजा जारी करना चाहिए तथा खेलकूद और व्यापारिक गतिविधियां भी जारी रहनी चाहिए। हालांकि, पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले का जवाब भी मजबूती से देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत का भरोसा पाकिस्तान के राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर कम हुआ है, इसलिए वहां की सिविल सोसायटी को इस संबंध में प्रयास शुरू करना चाहिए। उर्दू मीडिया ने होसबाले के इस पहल का स्वागत किया है। वहीं, पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने भी इसे एक सकारात्मक कदम बताया है।

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा को तीन राज्यों में शानदार सफलता मिली है। पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में 294 सीटों में से 207 पर जीत दर्ज कर राज्य में पहली बार अपनी सरकार बनाई है। उर्दू अखबारों ने इन चुनावों में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को दिया है। कुछ अखबारों का यह भी कहना है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत का मुख्य श्रेय आरएसएस के निष्काम स्वयंसेवकों को जाता है, जो सालों से इस राज्य में भाजपा की जड़ें मजबूत करने में लगे हुए थे।

दूसरी ओर, असम में भाजपा तीसरी बार सरकार बनाने में सफल हुई है। पार्टी ने इस बार 2021 के विधानसभा चुनाव से भी ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज की है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि असम में कांग्रेस के जो 19 विधायक जीते हैं, उनमें 18 मुसलमान हैं। तमिलनाडु में भी भाजपा अपना खाता खोलने में सफल रही है। राज्य में पिछले 40 सालों से सत्ता बारी-बारी डीएमके और एआईएडीएमके के हाथ में रही है, लेकिन इस बार वहां पर एक नई पार्टी 'टीवीके' सरकार बनाने में सफल हुई है। केरल में वामपंथी मोर्चे को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है और कांग्रेस के नेतृत्व वाला गठबंधन राज्य में सत्तासीन हो गया है। भाजपा ने केरल में तीन सीटों पर जीत दर्ज की है।

इजरायल ने एक नया कानून लागू किया है, जिसके तहत यहूदी नागरिकों और सैनिकों की हत्या करने या साजिश रचने वाले फिलिस्तीनियों के लिए मृत्युदंड को अनिवार्य बना दिया गया है। मुस्लिम देशों ने इजरायल सरकार के इस फैसले की आलोचना की है। पश्चिम एशिया में युद्धविराम की घोषणाओं के बावजूद जिस तरह से ईरान द्वारा संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और अन्य खाड़ी देशों को निशाना बनाया जा रहा है उसकी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कड़े शब्दों में निंदा की है। नरेन्द्र मोदी की हाल की यूएई यात्रा के बाद दोनों देशों के बीच मैत्री के एक नए अध्याय की शुरुआत होने की आशा व्यक्त की जा रही है। इसके अतिरिक्त यूएई ने भारत में पांच अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है।

राष्ट्रीय

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा भोजशाला को हिंदुओं को सौंपने का आदेश

इंकलाब (16 मई) के अनुसार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने पुरातात्विक व ऐतिहासिक तथ्यों और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) की सर्वे रिपोर्ट के आधार पर धार स्थित भोजशाला को सरस्वती मंदिर माना है। अदालत ने इस परिसर को हिंदू पक्ष को सौंपने का फैसला सुनाया है और परिसर के भीतर मुसलमानों के नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी है। एएसआई ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए परिसर की व्यवस्था हिंदू पक्ष को सौंप दी है। इसके तुरंत बाद हिंदू श्रद्धालुओं ने वहां मां सरस्वती (वाग्देवी) की पूजा-अर्चना और आरती शुरू कर दी है। दूसरी ओर, कमाल मौला मस्जिद प्रबंध समिति और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने उच्च न्यायालय के इस आदेश को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देने का फैसला किया है।

अदालत ने साल 2003 में जारी एएसआई के उस निर्देश को भी रद्द कर दिया है, जिसके तहत हिंदुओं को हर मंगलवार व वसंत पंचमी के अवसर पर पूजा करने और मुसलमानों को हर जुमा (शुक्रवार) को नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष से कहा है कि वे नई मस्जिद के निर्माण के लिए सरकार से वैकल्पिक जमीन की मांग कर सकते हैं। इसके साथ ही, अदालत ने भारत सरकार को यह आदेश दिया है कि इस मंदिर से संबंधित मां वाग्देवी (सरस्वती) की जो प्रतिमा लंदन के संग्रहालय में है उसे वापस लाने और इस ऐतिहासिक परिसर में पुनः स्थापित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई की जाए।

गौरतलब है कि साल 2022 में 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर करके भोजशाला के धार्मिक स्वरूप का निर्धारण करने, हिंदू समाज को नियमित पूजा का अधिकार देने और परिसर में नमाज पर रोक लगाने की मांग की थी। इसके बाद साल 2024 में एएसआई ने भोजशाला परिसर का 98 दिनों तक वैज्ञानिक सर्वे किया था। इस सर्वे को मुस्लिम पक्ष से जुड़ी संस्था 'मौलाना कमालुद्दीन वेलफेयर सोसायटी' ने सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी थी, लेकिन

सर्वोच्च न्यायालय ने इस सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था।

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले पर टिप्पणी करते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा है कि "अदालत का यह फैसला न्यायसंगत नहीं है और यह राजनीतिक दबाव में लिया गया फैसला है। एएसआई ने सत्ताधारी दल के दबाव में अदालत में एकपक्षीय रिपोर्ट पेश की है, जिसमें मुसलमानों के दृष्टिकोण को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया है। हद तो यह है कि इस संदर्भ में धार रियासत के तत्कालीन दीवान द्वारा साल 1935 में जारी किए गए उस आदेश को भी दरकिनार कर दिया गया, जिसके तहत इस परिसर को कमाल मौला मस्जिद के रूप में मान्यता दी गई थी।" दूसरी ओर, जमीयत उलेमा-ए-हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी ने दावा किया कि अदालत ने राजनीतिक दबाव में यह एकतरफा फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि साल 1991 में धार्मिक स्थलों की स्थिति को यथावत बनाए रखने के संबंध में जो कानून पारित किया गया था, अदालत ने उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। मदनी ने कहा कि मुसलमानों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है उससे बेहतर होगा कि सरकार इस कानून को ही पूरी तरह रद्द कर दे।

जमीयत उलेमा के एक अन्य गुट के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने अदालत के इस फैसले को भारतीय संविधान और संसद द्वारा पारित कानून के खिलाफ बताया है। दूसरी ओर, ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह फैसला बाबरी मस्जिद फैसले की नकल है। उन्होंने आशा व्यक्त की कि सर्वोच्च न्यायालय इस फैसले को रद्द करके मुसलमानों को न्याय देगा। हालांकि, मुस्लिम वकील महमूद प्राचा ने इस पर अलग राय देते हुए कहा कि मुसलमानों को सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय में उन्होंने जो याचिकाएं दायर की हैं उनमें से एक में भी उन्हें न्याय नहीं मिला है।

कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने आरोप लगाया है कि एएसआई ने राजनीतिक दबाव के कारण उच्च न्यायालय में एकपक्षीय रिपोर्ट पेश की थी, जिसके आधार पर यह फैसला आया है। सीपीआईएम पोलित ब्यूरो ने एक बयान जारी कर इस फैसले को संसद द्वारा पारित पूजा स्थल (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 1991 के खिलाफ बताया है। भाजपा विधायक रामेश्वर शर्मा ने अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि विधर्मी आक्रांताओं ने हिंदुओं के साथ जो अत्याचार किया था, अब उसका निराकरण हो गया है और हमें यह परिसर वापस मिल गया है। भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आर.पी. सिंह ने कहा कि उच्च न्यायालय ने यह फैसला एएसआई की रिपोर्ट के आधार पर दिया है, जो पूरी तरह तथ्यों पर आधारित है। 'हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस' के सदस्य और इस मामले के याचिकाकर्ता आशीष गोयल का कहना है कि अदालत का यह फैसला न्यायसंगत है और अब सरकार को लंदन के संग्रहालय से मां वाग्देवी की प्रतिमा को वापस लाने का प्रयास करना चाहिए।

एतेमाद (17 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अदालत ने फैसला सुनाते समय ऐतिहासिक तथ्यों को नजरअंदाज कर दिया। इस स्थान पर 700 सालों से नमाज पढ़ी जा रही थी, जिसे मंदिर करार देकर देश के बहुसंख्यक समुदाय के हवाले कर दिया गया है। समाचारपत्र के अनुसार इस मस्जिद में एक वजुखाना मौजूद है, जो इस बात का प्रमाण है कि इसका निर्माण मुसलमानों ने कमाल मौला के आवास के रूप में किया था। समाचारपत्र का कहना है कि यह फैसला तथ्यों के आधार पर नहीं, बल्कि आस्था के आधार पर किया गया है। अदालत ने न जाने किस आधार पर इसे सरस्वती मंदिर घोषित कर दिया, जबकि पूरा ऐतिहासिक रिकॉर्ड, फारसी भाषा के शिलालेख, ब्रिटिश सरकार का सर्वे और एएसआई की पुरानी रिपोर्टें इसके मस्जिद और दरगाह होने की पुष्टि करते हैं। अदालत ने फैसला सुनाते समय संसद द्वारा पारित उपासना स्थल अधिनियम को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया है। अदालत के इस फैसले से देशभर में धार्मिक स्थलों से जुड़े विवादों का एक नया सिलसिला शुरू होने की आशंका बढ़ गई है।

हिंदुस्तान (16 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने आखिरकार ऐतिहासिक कमाल मौला मस्जिद को मंदिर करार दे दिया है। यह ताजा फैसला केवल एक अदालती फैसला नहीं है, बल्कि इससे देश के संवैधानिक ढांचे धार्मिक सद्भावना, संविधान और न्याय पर एक गंभीर सवालिया निशान खड़ा हो गया है, जिसका प्रभाव सदियों तक महसूस किया जाएगा। समाचारपत्र ने कहा है कि एक बार फिर वही पुराना दृश्य दोहराया गया है, जो वर्षों पहले बाबरी मस्जिद के मामले में देखा गया था। सवाल यह है कि क्या यही फॉर्मूला हर मस्जिद पर कब्जा करने के लिए दोहराया जाएगा? हालांकि, अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया था कि इस फैसले को भविष्य में किसी फैसले की नजीर (उदाहरण) नहीं माना जाएगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अब मुसलमानों को उनकी दरगाहों, मस्जिदों और मदरसों से वंचित करने के लिए अदालत का सहारा लिया जा रहा है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो फिर वाराणसी की ज्ञानवापी, मथुरा की शाही ईदगाह, कुतुब मीनार और देश की दर्जनों ऐतिहासिक मस्जिदों के बारे में सांप्रदायिक तत्वों द्वारा किए गए मुकदमों का क्या अंजाम होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 मई) ने कहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भी अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद की तरह आस्था को अपना आधार बनाया है। यह फैसला अप्रत्याशित नहीं था। मुसलमानों को ऐसे और भी फैसलों के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे और भी बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी। समाचारपत्र ने लिखा है कि अयोध्या की राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मामले में मुस्लिम नेतृत्व ने कहा था कि हमें इस देश की न्याय व्यवस्था में आस्था है और अदालत का जो भी फैसला होगा उसे हम स्वीकार करेंगे। हालांकि, आम मुसलमान इस फैसले को स्वीकार करने के लिए कतई तैयार नहीं थे, लेकिन मुस्लिम नेतृत्व के आत्मसमर्पण के कारण वे चुप रहे। मुस्लिम नेतृत्व आरएसएस और सरकार के दबाव में था। फैसला आने से पहले ही उनसे सौदेबाजी कर ली गई थी। नतीजा यह हुआ कि बाबरी की जगह राम मंदिर बन गया। मस्जिद के नाम पर किए गए सभी वादे झूठे साबित हुए।

समाचारपत्र ने कहा है कि जब तक हमारी लगाम दूसरों के हाथ में रहेगी, मुसलमानों की समस्याओं का समाधान नहीं होगा। कौम (मुस्लिम समुदाय) को जागृत होना होगा और सड़क पर उतरना होगा। भोजशाला के इस फैसले के बाद भी अगर मुसलमान गफलत (लापरवाही) में रहे तो उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ेगा। मुसलमानों को कानूनी दृष्टि से सक्रिय होना होगा और अपनी मस्जिदों, दरगाहों व वक्फ की रक्षा के लिए मुस्लिम समाज के सभी वकीलों को एकजुट होना होगा। आखिर वे कब तक हमारे उपासना स्थलों के नीचे मंदिर तलाशते रहेंगे? भारत के बहुसंख्यक समाज और सरकार को याद रखना चाहिए कि हमारे देश का विकास और भविष्य उसके सेक्युलर स्वरूप में ही निहित है। हर मस्जिद के नीचे मंदिर तलाश करने से न तो इस देश की तरक्की होगी और न ही कौम का भला होगा।

उर्दू टाइम्स (18 मई) ने आरोप लगाया है कि अदालत ने यह फैसला सत्तारूढ़ दल के दबाव में किया है। यह इतिहास, कानून और भारत के संविधान के साथ मजाक है। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि हाल के वर्षों में भारत की अदालतों ने जो रवैया अपनाया है उससे साफ है कि उन्हें ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई के रिकॉर्ड और संसद के कानून के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। वे सिर्फ कुछ लोगों को खुश करने के लिए मनमाने फैसले दे रही हैं। जब न्यायाधीश मस्जिद को मंदिर घोषित कर देते हैं तो इससे सांप्रदायिक तत्वों को शह मिलती है और देश का सेक्युलर ताना-बाना बिखरने लगता है। अब मुसलमानों की पहचान और उनके धार्मिक स्थान खतरे में पड़ गए हैं। अदालत के इस फैसले से देशभर की मस्जिदों और दरगाहों के अस्तित्व के लिए खतरा पैदा हो गया है, क्योंकि सांप्रदायिक संगठनों ने पहले से ही मस्जिदों और दरगाहों की एक लंबी सूची तैयार कर रखी है, जिसे वे हड़पना चाहते हैं। जरूरत

इस बात की है कि इस धांधली को रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय तुरंत हस्तक्षेप करे।

मुंबई उर्दू न्यूज (16 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि सबसे खतरनाक बात यह है कि मुसलमानों की आस्था देश की न्याय व्यवस्था और संविधान से उठ रही है। देश में सांप्रदायिक तत्व मुसलमानों के खिलाफ निरंतर नफरती माहौल पैदा कर रहे हैं और वे इसके सहारे सत्ता में आ रहे हैं, इसलिए जरूरी है कि इस गंभीर मामले में सर्वोच्च न्यायालय हस्तक्षेप करे ताकि इस देश की जनता की आस्था न्यायपालिका, संविधान और लोकतंत्र पर बरकरार रह सके।

अवधनामा (18 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि अब इस देश का संविधान और लोकतंत्र खतरे में है। संविधान की कसम खाकर सत्ता की कुर्सी पर बैठने वाले शासकों के लिए यह जरूरी है कि वे हर नागरिक के संवैधानिक अधिकारों का संरक्षण करें। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के इस फैसले से मुसलमानों का अस्तित्व और धार्मिक पहचान खतरे में पड़ गए हैं, इसलिए जरूरी है कि बहुसंख्यक समाज इस हालात को गंभीरता से ले। समाचारपत्र ने कहा है कि अगर मुसलमान बाबरी मस्जिद पर अदालती फैसले को स्वीकार न करते तो आज मुसलमानों के धार्मिक स्थल खतरे में न पड़ते।

इंकलाब (18 मई) ने कहा है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बाबरी मस्जिद के बारे में जो फैसला दिया था, अब वह इस्लामी धार्मिक इमारतों पर कब्जा करने के लिए एक उदाहरण बन गया है। तब हिंदू पक्ष के दबाव के कारण आस्था के आधार पर जो फैसला किया गया था, अब उसे रोकना किसी के नियंत्रण में नहीं रह गया है। समाचारपत्र ने कहा है कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के हालिया फैसले से मुस्लिम और इस्लाम विरोधी हिंदुत्ववादी तत्वों को जबर्दस्त प्रोत्साहन मिला है और उन्होंने देशभर की मुस्लिम धार्मिक इमारतों पर धावा बोल दिया है। उनके दिलो-दिमाग को इस भावना ने अपने नियंत्रण में ले लिया है कि देश में किसी भी ऐतिहासिक मस्जिद और इमारत को इस्लामी पहचान के साथ न रहने दिया जाए। वैकल्पिक स्थान पर भूमि देने का जो प्रलोभन देने का सिलसिला शुरू हुआ है उसके लालच में मुस्लिम समाज में मस्जिदों के नाम पर सौदागरी करने वाला एक नया वर्ग पैदा हो गया है। हुमायूं कबीर द्वारा बंगाल में बाबरी

मस्जिद के निर्माण का जो शोशा छोड़ा गया था, वह इसका ताजा उदाहरण है।

समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि हकीकत तो यह है कि न्यायाधीशों के सामने भी अपने भविष्य को उज्ज्वल बनाने का सवाल खड़ा हो गया है और उन्हें इसके बचाव का यही रास्ता नजर आता है कि इंसाफ और संविधान को नजरअंदाज करके हर मस्जिद को मंदिर घोषित कर दिया जाए। यह रुझान देश की एकता के लिए बेहद खतरनाक है। अगर इसको न रोका गया तो देश की एकता और अखंडता खतरे में पड़ सकती है।

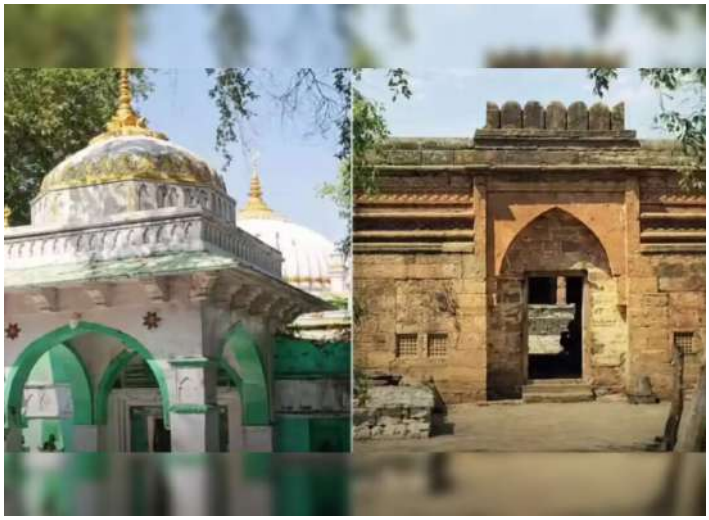

कौमी तंजीम (17 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भोजशाला मामले में उच्च न्यायालय के सामने तीन पक्ष थे। इनमें से पहला हिंदू पक्ष था, जिसका यह दावा था कि यह 11वीं शताब्दी में राजा भोज द्वारा बनाया गया सरस्वती मंदिर और गुरुकुल है। उनकी मांग थी कि यह पूरा परिसर हिंदुओं को सौंप दिया जाए। दूसरा मुस्लिम पक्ष था, जिनका यह तर्क था कि यह सदियों से कमाल मौला मस्जिद है और इसका निर्माण मुसलमानों ने करवाया था। तीसरा पक्ष जैन समाज का था, जिनका यह दावा था कि यह परिसर मूल रूप से जैन गुरुकुल और मंदिर है। उनका यह भी कहना था कि वहां वाग्देवी की जो प्रतिमा प्राप्त हुई थी, वह वास्तव में जैन यक्षिणी (शासन देवी) अंबिका की है और इस स्मारक का हिंदू धर्म से कोई सरोकार नहीं है। यह अजीब बात है कि अदालत ने बाकी दोनों पक्षों को नजरअंदाज करते हुए अपना फैसला हिंदू समाज के पक्ष में दिया और यह तर्क दिया कि एएसआई ने इसे प्राचीन मंदिर बताया है।

उर्दू टाइम्स (16 मई) ने अपने संपादकीय में शिकायत की है कि मुस्लिम पक्ष ने इस मस्जिद के निर्माण के संबंध में जो प्राचीन दस्तावेज अदालत में प्रस्तुत किए थे, उच्च न्यायालय ने उन पर संज्ञान तक नहीं लिया। सवाल सिर्फ धार की कमाल मौला मस्जिद का नहीं है, बल्कि इस देश में ऐसी सैकड़ों प्राचीन मस्जिदें मौजूद हैं, जिन पर हिंदू पक्ष दावा कर रहा है। आज की परिस्थिति में मुसलमान स्वयं को असहाय महसूस कर रहे हैं। उनके विचारों और पक्ष की न तो अदालत को कोई परवाह है और न ही सरकार को। अब खुदा के दरबार में फरियाद करने के अतिरिक्त मुसलमानों के पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, क्योंकि वर्तमान माहौल में उन्हें किसी अदालत से न्याय मिलने की उम्मीद नहीं है।

भोजशाला विवादः ऐतिहासिक और कानूनी घटनाक्रम

मध्य प्रदेश सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार साल 1034 में परमार वंश के महाराजा भोज ने मां वाग्देवी (सरस्वती) को समर्पित एक मंदिर और संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, जो उस समय वैश्विक शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। साल 1305 में अलाउद्दीन खिलजी ने भोजशाला परिसर पर पहला बड़ा हमला किया और इसके एक बड़े हिस्से को क्षतिग्रस्त कर

दिया। साल 1401 में मालवा के गवर्नर दिलावर खान गौरी ने इस मंदिर को पूरी तरह नष्ट करके यहां मस्जिद बनाने का प्रयास किया, लेकिन उसे भारी विरोध का सामना करना पड़ा। साल 1514 में महमूद शाह खिलजी ने यहां पर कमाल मौला मस्जिद और दरगाह का निर्माण कराया।

साल 1875 में मेजर जनरल विलियम किनकैड ने इस परिसर में खुदाई करवाई, जिससे मां वाग्देवी की मूर्ति बरामद हुई। साल 1903 में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड कर्जन ने वाग्देवी की इस ऐतिहासिक मूर्ति को लंदन के संग्रहालय (ब्रिटिश म्यूजियम) भेज दिया। साल 1904 में भोजशाला को एक प्राचीन स्मारक घोषित किया गया और इसके प्रबंधन की जिम्मेदारी एएसआई को सौंप दी गई। साल 1935 में तत्कालीन धार रियासत ने परिसर के भीतर पहली बार मुसलमानों को नमाज अदा करने की अनुमति दे दी। 1962 में मुस्लिम कार्यकर्ता अमीरुद्दीन ने भारत संघ और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कमाल मौला मस्जिद पर पूर्ण कब्जे और नमाज में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को रोकने की मांग की गई। हालांकि, यह मुकदमा अदालत द्वारा खारिज कर दिया गया। बाद में हिंदू महासभा के नेता ठाकुर निहाल चंद्र इस कानूनी प्रक्रिया में शामिल हुए और उन्होंने मांग की कि इस पूरे ऐतिहासिक स्मारक को हिंदुओं को सौंप दिया जाए।

1995 से 1997 तक इस परिसर पर अधिकार को लेकर दोनों समुदायों में कई बार हिंसक झड़पें हुईं। इसके बाद 12 मई 1997 को कांग्रेस के तत्कालीन मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह के आदेश पर भोजशाला में हिंदुओं द्वारा की जाने वाली मंगलवार की पूजा पर रोक लगा दी गई। साल 1998 में एएसआई ने अगले आदेश तक भोजशाला में हिंदुओं के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया, जबकि मुसलमानों के लिए शुक्रवार की नमाज जारी रही। फरवरी 2003 में वसंत पंचमी का त्योहार शुक्रवार के दिन ही पड़ा, जिसके कारण हिंदुओं की पूजा और मुसलमानों की नमाज नमाज के समय को लेकर दोनों पक्षों में भारी झड़पें हुईं, जिसमें दो लोग मारे गए और कई घायल हो गए। 7 अप्रैल 2003 को एएसआई ने एक नई व्यवस्था लागू की, जिसके तहत भोजशाला परिसर में मुसलमान प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर एक बजे से तीन बजे तक नमाज पढ़ सकते थे, जबकि हिंदुओं को प्रत्येक मंगलवार और वसंत पंचमी के दिन विशेष पूजा करने की अनुमति दी गई। साल 2006 में भी वसंत पंचमी और शुक्रवार एक ही दिन पड़ने के कारण दोनों समुदायों के बीच दोबारा झड़पें हुईं, जिनमें कई लोग घायल हुए।

पाकिस्तान से बातचीत के रास्ते खुले रखने का समर्थन

अखबार-ए-मशरिक (13 मई) के अनुसार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले ने समाचार एजेंसी 'पीटीआई' को दिए एक विशेष साक्षात्कार में कहा कि भारत को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं करने चाहिए। दोनों देशों को एक-दूसरे के नागरिकों को वीजा जारी करना चाहिए तथा खेलकूद और व्यापारिक गतिविधियां भी जारी रहनी चाहिए। हालांकि, पुलवामा जैसे आतंकवादी हमले का जवाब भी मजबूती से देना होगा। होसबाले ने आगे कहा कि "भारत और पाकिस्तान के बीच सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और हम एक ही राष्ट्र रहे हैं। राजनीतिक और सैन्य नेतृत्व पर भरोसा कम होने के कारण अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों, वैज्ञानिकों और सिविल सोसायटी को भारत के साथ संबंधों को सुधारने के लिए आगे आना चाहिए।"

उदयनिधि स्टालिन द्वारा सनातन धर्म को समाप्त करने से जुड़े बयान पर टिप्पणी करते हुए दत्तात्रेय होसबाले ने कहा कि सनातन धर्म शाश्वत है। वह इसलिए गायब या समाप्त नहीं हो जाएगा, क्योंकि कोई व्यक्ति इसे खत्म करने की बात कहता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि यह सभ्यताओं का संघर्ष नहीं, बल्कि तेल और प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण को लेकर पैदा हुआ विवाद है। दुनिया के ज्यादातर युद्ध लालच, अहंकार और दूसरों पर कब्जा करने की मानसिकता से जन्म लेते हैं। इतिहास के हर दौर में युद्ध होते रहे हैं और भविष्य में पानी को लेकर संघर्ष होने की आशंका जताई जा रही है।

पीटीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रधान संपादक विजय जोशी ने दत्तात्रेय होसबाले से सवाल किया कि मुसलमानों को यह भरोसा कैसे दिलाया जा सकता है कि वे भारत में सुरक्षित हैं और हिंदू राष्ट्र का मतलब संस्कृति से है न कि धर्म से? इस पर होसबाले ने जवाब दिया कि "हम हिंदू राष्ट्र बना नहीं रहे हैं, बल्कि भारत पहले से हिंदू राष्ट्र है। ब्रिटिश शासन के समय भी यह हिंदू राष्ट्र ही था। हिंदू राष्ट्र का अर्थ सांस्कृतिक पहचान से है, न कि धार्मिक राज्य से। धर्म परिवर्तन से किसी व्यक्ति की राष्ट्रीयता नहीं

बदलती। जब हमारी राष्ट्रीयता एक है तो हम किसी को स्वयं से अलग नहीं मानते। भारत में मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक नहीं माना जाता। सरकारी योजनाओं का लाभ सभी तक पहुंच रहा है और आरएसएस भी लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के नेताओं व बुद्धिजीवियों से संवाद बनाए हुए है।

पत्रकार ने पूछा कि संघ प्रमुख मोहन भागवत कहते हैं कि सबका डीएनए एक है तो फिर लव जिहाद पर इतना विवाद क्यों है? इस पर होसबाले ने स्पष्ट किया कि लव जिहाद तब होता है जब कोई एजेंडा हो। अगर हिंदू लड़कियों को बहला-फुसलाकर ले जाने की सोची-समझी साजिश हो तो हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। जब यह एकतरफा हो तो यह प्यार नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश है। पत्रकार ने पूछा कि असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल चुनाव के बाद कहा कि मुसलमानों को अलग पार्टी बनानी चाहिए। इस पर होसबाले ने कहा कि संविधान में सबको पार्टी बनाने का अधिकार है, लेकिन मुसलमानों में राष्ट्रवादी नेतृत्व बहुत कम देखने को मिलती है। यह बेहद चिंताजनक बात है कि मुस्लिम समुदाय अक्सर उन्हीं नेताओं का समर्थन करता है जो अलगाववादी मानसिकता को बढ़ावा देते हैं।

पत्रकार ने सवाल किया कि हमें पाकिस्तान के साथ कैसा व्यवहार रखना चाहिए? इस पर होसबाले ने कहा कि अगर पाकिस्तान पुलवामा जैसी हरकत करता है तो देश की सुरक्षा और सम्मान के लिए भारत को स्थिति के अनुसार कड़ा जवाब देना होगा, लेकिन साथ ही हमें बातचीत के दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हमें हमेशा बातचीत के लिए तैयार रहना चाहिए। व्यापार और वीजा जारी करना बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि बातचीत के लिए हमेशा एक खिड़की खुली रहनी चाहिए। यही कारण है कि भारत ने पाकिस्तान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को आज तक बनाए रखा है।

एतेमाद (15 मई) के अनुसार नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के पाकिस्तान के साथ वार्ता जारी रखने के पक्ष में दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा कि युद्ध कोई विकल्प नहीं है। युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं होता। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ

बातचीत होनी ही चाहिए। मैं इस बात से खुश हूं कि अब कोई यह सोच रहा है कि युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि समस्या के समाधान के लिए बातचीत जरूरी है।

बीबीसी के अनुसार पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने होसबाले के बयान पर टिप्पणी करते हुए इसे एक सकारात्मक कदम बताया है। उन्होंने कहा कि ध्यान देने योग्य बात यह है कि अब भारत के भीतर से भी पाकिस्तान के साथ वार्ता पर जोर देने वाली आवाजें उठने लगी हैं। यह एक सकारात्मक घटनाक्रम है। हमें उम्मीद है कि भारत में इस विषय पर समझदारी और सद्बुद्धि विकसित होगी। हम निश्चित रूप से यह देखेंगे कि भारत सरकार की ओर से इन आवाजों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया आती है या नहीं। दूसरी ओर, भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त रहे अब्दुल बासित का कहना है कि इस तरह के बयानों को पाकिस्तान सरकार को ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के प्रति भारत की वर्तमान सरकार का रुख पहले की तरह ही आक्रामक है।

भारत के पूर्व सेना प्रमुख जनरल एम.एम. नरवणे ने दत्तात्रेय होसबाले के बयान का समर्थन करते हुए कहा है कि विवादों का समाधान बातचीत के माध्यम से होना चाहिए, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम जरूरत पड़ने पर पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य बल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। भारत शांति की भाषा बोलने वाला देश है, लेकिन जरूरत पड़ने पर हम बल प्रयोग करने से भी नहीं हिचकिचाएंगे।

एतेमाद (14 मई) के अनुसार कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले के बयान पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि जिस तरह से होसबाले ने पाकिस्तान के साथ बातचीत के रास्ते खुले रखने की वकालत की है उससे साफ प्रतीत होता है कि उनके हालिया अमेरिकी दौरे का गहरा असर होसबाले और उनके संगठन आरएसएस दोनों पर हुआ है। जयराम रमेश ने आगे कहा कि होसबाले के इस रुख से उनके एक अन्य सहयोगी राम माधव के उस पुराने बयान की पुष्टि होती है, जिसमें उन्होंने खुले तौर पर स्वीकार किया था कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी वही कर रहे हैं जो अमेरिका चाहता है।

अखबार-ए-मशरिक (17 मई) ने अपने संपादकीय में दत्तात्रेय होसबाले के बयान का स्वागत करते हुए कहा है कि उनका यह बयान सकारात्मक है और पाकिस्तान को इसका उसी ढंग से जवाब देना चाहिए। तनाव जारी रखना दोनों देशों के हित में नहीं है। समाचारपत्र ने कहा है कि होसबाले ने मुसलमानों के बारे में जो राय व्यक्त की है उसे सरकार द्वारा जमीनी स्तर पर भी लागू किया जाना चाहिए।

अवधनामा (15 मई) ने कहा है कि केंद्र में भले ही भाजपा सत्तारूढ़ हो, लेकिन उसकी असली ताकत और नियंत्रण आरएसएस के पास ही है। भाजपा को जिस तरह से नरेन्द्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी चला रही है ठीक उसी तरह आरएसएस को चलाने वाले मोहन भागवत और दत्तात्रेय होसबाले हैं। समाचारपत्र ने कहा है कि संघ प्रमुख को 'सरसंघचालक' कहा जाता है, जबकि संगठन के महासचिव को 'सरकार्यवाह'

कहा जाता है। इसका अर्थ है कि इस संगठन का चेहरा भले ही मोहन भागवत हों, लेकिन इसके पीछे का असली दिमाग दत्तात्रये होसबाले हैं। होसबाले ने पाकिस्तान के संदर्भ में एक कूटनीतिक बयान देकर 'मोदी के भक्तों' को चौंका दिया है। इस बयान का इसलिए भी विशेष महत्व है, क्योंकि होसबाले को प्रधानमंत्री मोदी का बेहद करीबी माना जाता है।

समाचारपत्र का दावा है कि दत्तात्रेय होसबाले ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंधों में जो बर्फ जमी हुई है उसे दूर करने के लिए 'जनता का जनता से संपर्क' होना बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सामाजिक वार्तालाप की खिड़की हमेशा खुली रहनी चाहिए। इस हकीकत से इनकार नहीं किया जा सकता कि हर संगठन दो अलग-अलग स्तरों पर काम करता है। आरएसएस के साथ हमारा वैचारिक मतभेद है और यह मतभेद तब तक जारी रहेगा जब तक कि उसकी मूल नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। इसके बावजूद होसबाले का यह बयान सकारात्मक है।

समाचारपत्र ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन करते हुए मोदी सरकार पर यह आरोप लगाया है कि दत्तात्रेय होसबाले ने स्वयं कहा है कि पाकिस्तान का सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व भारत का विश्वास खो चुका है और अब समय आ गया है कि पाकिस्तान की सिविल सोसायटी इस मामले में सक्रिय हो। सवाल यह है कि क्या अब भी भारतीय नेतृत्व का विश्वास बाकी रह गया है? क्या यही आरोप लौटकर मोदी सरकार की तरफ नहीं आता कि चुनाव जीतने के लिए 'सर्जिकल स्ट्राइक' के बाद 'घर में घुसकर मारने' का नारा किसने लगाया था? 'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद 'खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता' और 'गोली का जवाब गोले से देने' की आवाज किसने उठाई थी? तब होसबाले साहब कहां थे? और अब वे कह रहे हैं कि हर देश की सुरक्षा और उसके सम्मान का संरक्षण होना चाहिए। क्या उस समय सरकार को यह ध्यान नहीं रखना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ दरवाजे बंद रखने के बजाय उससे बातचीत का रास्ता अपनाया जाता?

समाचारपत्र ने कहा है कि भारत-पाकिस्तान वार्ता की शुरुआत 2003 में हुई थी, जब पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ भारत दौरे पर आए थे। उनके साथ हुई बैठक में आठ मुद्दे ऐसे थे, जिन्हें विवादित बताया गया था। समाचारपत्र ने मुंबई में हुए आतंकवादी हमले में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि वार्तालाप का यह सिलसिला 2008 में मुंबई में हुए आतंकवादी हमले के बाद पटरी से उतर गया। इससे साफ है कि जो वैश्विक शक्तियां भारत और पाकिस्तान में दोस्ती नहीं चाहती थीं, यह हमला उन्हीं ने करवाया था।

इंकलाब (14 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों को सुधारने के बारे में आरएसएस के दूसरे सबसे बड़े नेता दत्तात्रेय होसबाले ने जो बयान दिया है, वह बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय विदेश नीति हमेशा अपने पड़ोसी देशों, विशेष रूप से पाकिस्तान के साथ

दोस्ताना संबंध कायम रखने की रही है। जुल्फिकार अली भुट्टो, जनरल जिया-उल-हक, बेनजीर भुट्टो, परवेज मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दौर में भी भारत ने बार-बार बातचीत शुरू करने और सहयोग की पेशकश की। अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में इस संदर्भ में सबसे ज्यादा प्रयास किए गए। वाजपेयी ने न केवल राजनीतिक स्तर पर वार्तालाप की शुरुआत की, बल्कि जनता के साथ संपर्क के रास्तों को भी खोल दिया। हालांकि, दुर्भाग्य से पाकिस्तान में कुछ ऐसे तत्व मौजूद थे, जो दोनों देशों के संबंधों में सुधार को किसी कीमत पर स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इन प्रयासों में पलीता लगाने के लिए पाकिस्तानी सेना ने कारगिल में भारतीय भूमि को हड़पने का प्रयास किया। इसके बाद कश्मीर में आतंकवाद बढ़ा और मुंबई आदि नगरों में आतंकवादी हमलों की शुरुआत हो गई। इस पृष्ठभूमि में होसबाले का यह बयान विशेष रूप से एक नया दृष्टिकोण पेश करता है। वे इस बात पर जोर देते हैं कि भारत हर हालत में पाकिस्तान से बेहतर संबंध चाहता है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि व्यापारिक संबंध, खेल, राजनीतिक संबंध और जनता के बीच संबंधों को सुधारने से न केवल दुश्मनी कम होगी, बल्कि इससे स्थायी शांति की नींव भी रखी जा सकेगी। समाचारपत्र ने कहा है कि भारत राजनीतिक स्थिरता, औद्योगिक विकास और सैन्य शक्ति की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में गिना जाता है, जबकि पाकिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से मालामाल है, लेकिन तकनीकी महारत और प्रशासनिक क्षेत्र में वह भारत से कमजोर है। अगर ये दोनों देश अपनी शक्ति का संयुक्त रूप से इस्तेमाल करें तो इससे इस क्षेत्र में न केवल शांति और खुशहाली होगी, बल्कि विश्व में भी इन दोनों देशों का रुतबा बढ़ेगा।

विधानसभा चुनाव परिणामों पर उर्दू मीडिया की प्रतिक्रिया

उर्दू टाइम्स (5 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि हाल ही में आए पांच राज्यों के चुनाव परिणामों से यह स्पष्ट हो गया है कि भाजपा जो चाहेगी वही होगा। जनभावना, चुनावी अभियान, सेक्युलरिज्म और संविधान को बचाने जैसे नारे उसकी जीत के रास्ते में बाधक नहीं बन सकते। पश्चिम बंगाल पर भाजपा की लंबे समय से नजर थी और वह हर हाल में इसे जीतना चाहती थी। इसके लिए दो साल पहले से ही आरएसएस के कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर जबरदस्त मेहनत कर रहे थे। सरकारी तंत्र का बेतहाशा इस्तेमाल हुआ और चुनाव आयोग एवं न्यायपालिका ने भाजपा को जीत दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यही कारण है कि तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को केवल 80 सीटें मिली हैं और भाजपा ने 207 सीटों पर भगवा झंडा गाड़ दिया है। अब उसके लिए अगले पांच सालों तक किसी खतरे का सामना करने की कोई संभावना नहीं बची है।

पश्चिम बंगाल के चुनावी परिणामों को लेकर पूरे देश में आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला

जारी है। कोई कुछ कह रहा है तो कोई कुछ, लेकिन अब इन बहसों से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जो जीता वही सिकंदर होता है। राजनीतिक हलकों में इस बात की भी चर्चा है कि भाजपा को मुसलमानों ने भी भारी संख्या में वोट दिए हैं। हालांकि, यह बात आसानी से गले से नीचे नहीं उतरती। इसके विपरीत एक दूसरा सच यह भी है कि बाबरी मस्जिद के निर्माण का मुद्दा उठाने वाले हुमायूं कबीर मुर्शिदाबाद की दो विधानसभा सीटों से चुनाव लड़े और उन्होंने दोनों ही सीट पर जीत दर्ज की। इसका साफ मतलब है कि मुस्लिम मतदाताओं ने हुमायूं कबीर को एकतरफा वोट दिए, जिसका सीधा लाभ भाजपा को हुआ। इस तरह से पश्चिम बंगाल में पूरी तरह से 'खेला' हो गया और पांच में से तीन राज्यों में भाजपा का कब्जा हो गया। अगले साल पंजाब और उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा उत्तर प्रदेश में तो पहले से ही सत्तारूढ़ है और अब उसने अभी से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार का तख्ता पलटने की तैयारी शुरू कर दी है। ऐसी स्थिति में अगर कांग्रेस ने बहुत सोच-समझकर फैसले नहीं किए तो उसकी जो दुर्दशा पश्चिम बंगाल में हुई, वही स्थिति बाकी राज्यों में भी हो जाएगी। अगर कांग्रेस ने चुनाव से पहले ममता बनर्जी की शर्तों पर उनसे चुनावी गठबंधन कर लिया होता तो शायद आज यह शर्मनाक नतीजा नहीं आता, जहां कांग्रेस को 294 सीटों पर चुनाव लड़कर केवल दो सीटें ही नसीब हुई हैं। यह सचमुच शर्म से डूब मरने जैसी बात है, इसलिए कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में भी बहुत सोच-समझकर कदम उठाना चाहिए।

कौमी तंजीम (5 मई) ने अपने संपादकीय में राज्य विधानसभाओं के चुनाव में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की सक्रियता के कारण इन चुनावों में भाजपा को आशा से भी अधिक सफलता मिली है। समाचारपत्र ने कहा है कि जिस तरह से शुभेंदु अधिकारी ने विपक्षियों को धमकी दी है, वह लोकतांत्रिक भावना के अनुरूप नहीं है। असम में मुस्लिम वोटों के विभाजन में बदरुद्दीन अजमल और असदुद्दीन ओवैसी की विशेष भूमिका रही है, लेकिन इसके बावजूद मुसलमानों ने भारी संख्या में कांग्रेस को वोट दिए।

हिंदुस्तान (5 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि किसी को यह आशा नहीं थी कि

पश्चिम बंगाल में टीएमसी हार जाएगी। पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सत्ता में आई है। भाजपा ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया था और आखिरकार वह जंग जीतने में सफल हो गई। यह अलग बात है कि भाजपा ने इस जंग को जीतने के लिए कौन-कौन से हथकंडे इस्तेमाल किए। जिस तरह से मतगणना हुई वह निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। भाजपा की इस जीत में चुनाव आयोग की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता। आरोप है कि चुनाव आयोग ने लगभग 27 लाख मतदाताओं को मतदान से वंचित कर दिया। यह भी अजीब बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस अभियान में चुनाव आयोग का ही साथ दिया।

मुंबई उर्दू न्यूज (6 मई) ने कहा है कि भाजपा के नेताओं को भी यह आशा नहीं थी कि पश्चिम बंगाल में उन्हें छप्पर फाड़कर वोट मिलेंगे। सबसे खेदजनक बात यह है कि जब से भाजपा केंद्र में सत्तारूढ़ हुई है तब से देशभर में विपक्षी सरकारें दम तोड़ती नजर आ रही हैं। साल 2014 में एनडीए शासित राज्यों की संख्या मात्र सात थी, जो अब बढ़कर 22 तक पहुंच गई है। केंद्र में भाजपा के सत्ता में आने के बाद ऐसी कुछ योजनाएं शुरू की गई हैं, जो आम जनता के लिए भले ही लाभदायक हों, लेकिन मुसलमानों के लिए परेशानियां बढ़ी हैं। जिस तरह से देश में नफरती अभियान जोर पकड़ रहा है, वह देश की एकता के लिए गंभीर खतरा है।

मुंबई उर्दू न्यूज (5 मई) ने भाजपा की जीत का श्रेय उसके संगठनात्मक ढांचे को दिया है। समाचारपत्र ने कहा है कि संघ के निष्काम कार्यकर्ता पिछले कई सालों से जनता में अपनी जड़ें जमाने में लगे हुए थे, जिसका सीधा लाभ भाजपा को हुआ। भाजपा ने सिर्फ पश्चिम बंगाल में सिर्फ चुनावी अभियान ही नहीं चलाया, बल्कि सुनियोजित ढंग से राज्यभर में एक ऐसा मानसिक वातावरण भी बनाया, जो उसके पक्ष में गया। बंगाल में विपक्षी दल एकजुट नहीं रह सके और उनमें हुए विभाजन के कारण भाजपा को भारी लाभ हुआ। भाजपा ने विकास और रोजगार के बारे में जनता को जो प्रलोभन दिए थे उसके कारण जनता के रुख में भारी परिवर्तन हुआ। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि भाजपा की यह जीत केवल एक राज्य तक ही सीमित नहीं रहेगी, बल्कि इसका देशव्यापी प्रभाव पड़ेगा। भाजपा ने यह साबित कर दिया है कि अगर कोई राजनीतिक दल मजबूत संगठन और निष्काम कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी मैदान में उतरती है तो वह हवा का रुख बदल सकती है।

अखबार-ए-मशरिक (6 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत में चुनाव आयोग, केंद्रीय सशस्त्र बलों और अन्य केंद्रीय एजेंसियों की भूमिका से इनकार नहीं किया जा सकता, जिन्होंने हवा का रुख भाजपा के पक्ष में मोड़ने में एक विशेष भूमिका निभाई। इसके अतिरिक्त चुनाव से पहले राज्य में भाजपा के समर्थक अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को भारी संख्या में तैनात किया गया था, जिन्होंने गैर-भाजपा मतों को मतदान केंद्रों से दूर रखने का काम किया। इससे निश्चित रूप से

भाजपा को सीधा चुनावी फायदा हुआ। उल्लेखनीय है कि जिन राज्यों में चुनाव हुए उनमें से असम, बंगाल और केरल में मुस्लिम मतादाताओं की संख्या काफी थी।

सियासत (7 मई) ने चुनावी नतीजों का विश्लेषण करते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में जिस तरह से ममता बनर्जी सत्ता से बेदखल हुई हैं, उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हालांकि, यह चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने हर हथकंडे का इस्तेमाल किया और उसकी जीत में चुनाव आयोग, न्यायपालिका व केंद्रीय एजेंसियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। असम में भाजपा ने मुस्लिम विरोध को चुनावी अभियान का मुख्य बिंदु बनाया और उसके कारण तीसरी बार वहां पर भाजपा को न केवल सफलता मिली, बल्कि उसकी सीटों में भी वृद्धि हुई।

हमारा समाज (6 मई) ने अपने संपादकीय में दावा किया है कि देश एक निर्वाचित तानाशाही की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि अब न्यायपालिका भी वर्तमान सरकार की आंख के इशारे को देखने लगी है और उसी के अनुसार फैसले कर रही है। पांच राज्यों में हुए चुनाव और उनके नतीजों ने साबित कर दिया है कि केंद्र में सत्तारूढ़ गिरोह जो चाहेगा, वही चुनाव परिणाम आएंगे। समाचारपत्र ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने अब विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) नाम का ऐसा टूलकिट तैयार किया है, जिसकी काट किसी के पास नहीं है। सवाल यह है कि क्या लोकतंत्र सिर्फ चुनाव जीतने का नाम है? क्या लोकतंत्र उस हुकूमत का नाम है, जो न्यायपलिका, चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के बल पर सत्ता में आई हो? आज देश में एक ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जहां कानून और इंसाफ सत्ता के सामने कमजोर पड़ता नजर आता है। संविधान किसी भी लोकतंत्र की आत्मा होती है। इसका लक्ष्य सिर्फ सरकार बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों को सत्ता की मनमानी से संरक्षण प्रदान करना होता है, लेकिन अब तो अदालतें भी यह कहने लगी हैं कि अगर लाखों नागरिकों से मतदान का अधिकार छीन लिया जाता है तो भी इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वे अगले चुनाव में अपना मत दे सकते हैं।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (6 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि देश में सेक्युलरिज्म का आखिरी किला पश्चिम बंगाल भी ढह गया है और भाजपा न सिर्फ वहां पर भगवा ध्वज लहराने में सफल हुई है, बल्कि उसे रिकॉर्डतोड़ सफलता मिली है। इसके अतिरिक्त भाजपा तमिलनाडु में भी अपना खाता खोलने में सफल रही है और केरल में भी उसे तीन सीटों पर सफलता मिली है। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (यूडीएफ) ने लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट (एलडीएफ) को करारी हार देकर सत्ता पर कब्जा कर लिया है। दूसरी ओर, असम विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा ने अकेले 82 सीटों पर जीत दर्ज की है और कांग्रेस को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि उसे सिर्फ 19 सीटें ही मिली हैं। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के 19 में से 18 विधायक मुसलमान हैं। वहीं, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (बीपीएफ) ने 10 सीटों पर और असम गण परिषद (एजीपी) ने भी 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। मौलाना बदरुद्दीन

अजमल की पार्टी ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) का प्रदर्शन बेहद शर्मनाम रहा है और उसे सिर्फ दो सीटें ही नसीब हुई हैं।

कौमी भारत (7 मई) ने चुनावी नतीजों पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि तमिलनाडु और केरल को छोड़कर बाकी तीन राज्यों में वैसे ही चुनाव परिणाम आए हैं, जैसे भाजपा चाहती थी। दूसरी ओर, तमिलनाडु में पिछले छह दशक में पहली बार ऐसा हुआ है जब डीएमके और एआईडीएमके दोनों सत्ता से बाहर हो गई हैं। तमिलनाडु में साल 1967 से अब तक छह बार डीएमके और आठ बार एआईएडीएमके की सरकार रही। 2026 के इस चुनाव में यह पारंपरिक सिलसिला टूट गया है और फिल्म अभिनेता सी. जोसेफ विजय की पार्टी टीवीके ने सत्ता पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अपनी राजनीति का आदर्श पेरियार को बताया है।

मुंसिफ (12 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि विपक्षी पार्टियां अपनी जमीन खोती जा रही हैं और क्षेत्रीय दल धीरे-धीरे हाशिए पर जा रहे हैं। असम में सत्ता में बरकरार रहना, पश्चिम बंगाल में जबरदस्त जीत, दक्षिण भारत में नए राजनीतिक गठबंधन का उभरना और क्षेत्रीय दलों के मजबूत किलों में दरार आना इस बात का प्रमाण है कि भाजपा अब केवल उत्तरी या पूर्वी भारत की पार्टी नहीं रही है, बल्कि पूरे देश की राजनीति में उसका वर्चस्व हो गया है। 2014 में सत्ता में आते ही मोदी सरकार ने विपक्ष के भ्रष्ट लेकिन, शक्तिशाली नेताओं को कानूनी शिकंजे में कसते हुए उन्हें न केवल अपनी पार्टी में शामिल होने पर मजबूर किया, बल्कि इससे विपक्षी दलों की जनता में छवि को भी भारी धक्का लगा है। भाजपा और मोदी को सर्वशक्तिमान बनाने में मीडिया की भूमिका को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जब एक पार्टी जबरदस्त संगठित हो जाती है, उसके पास अकूत आर्थिक साधन आ जाते हैं और लोकतंत्र के सभी अंगों पर उसका वर्चस्व स्थापित हो जाता है तो धीरे-धीरे लोकतांत्रिक ढांचा कमजोर होने लगता है। अब चुनावी राजनीति में पहले जैसा संतुलन नहीं रहा है।

विधानसभा के चुनावों में 107 मुस्लिम उम्मीदवार जीते

सहाफत (7 मई) के अनुसार पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुदुचेरी के हालिया विधानसभा चुनावों में 824 सीटों में से 107 पर मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जो कुल निर्वाचित विधायकों का 14.40 प्रतिशत है। हालांकि, इनमें से भाजपा का एक भी मुस्लिम विधायक नहीं है, क्योंकि उसने किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया था। पश्चिम बंगाल की 294 सीटों पर हुए चुनाव में 40 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि 2021 के विधानसभा चुनाव में यह संख्या 44 थी। टीएमसी के मुस्लिम विधायकों की संख्या 43 से घटकर 34 रह गई है। वहीं, गैर-टीएमसी और गैर-भाजपा मुस्लिम विधायकों की संख्या एक से

बढ़कर छह हो गई है। इनमें कांग्रेस के दो, आम जनता उन्नयन पार्टी के दो और सीपीआईएम व आईएसएफ का एक-एक विधायक शामिल हैं।

दूसरी ओर, 140 सीटों वाली केरल विधानसभा में 35 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते हैं, जो कुल विधायकों का 25 प्रतिशत है। सत्ताधारी यूडीएफ के 30 मुस्लिम विधायक हैं, जिसमें कांग्रेस के आठ और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के 22 विधायक शामिल हैं। विपक्षी सीपीआईएम के चार और सीपीआई का एक मुस्लिम विधायक चुनाव जीतने में सफल रहा है। असम की 126 विधानसभा सीटों पर हुए चुनाव में 22 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं, जबकि पिछले विधानसभा चुनाव में यह संख्या 31 थी। सबसे हैरानी की बात यह है कि कांग्रेस के 19 विधायकों में से 18 मुसलमान हैं। इसके अतिरिक्त बदरुद्दीन अजमल की एआईयूडीएफ के दो, रायजोर दल का एक और टीएमसी का एक मुस्लिम विधायक विधानसभा पहुंचा है।

234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में इस बार नौ मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है। इनमें डीएमके के तीन, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के दो, कांग्रेस का एक और टीवीके के तीन विधायक शामिल हैं। राज्य की कुल जनसंख्या में से छह प्रतिशत मुसलमान हैं, जबकि विधानसभा में उनकी हिस्सेदारी मात्र तीन प्रतिशत है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी के 30 सदस्यीय विधानसभा में इस बार सिर्फ एक मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीता है। डीएमके के उम्मीदवार ए.एम.एच. नाजिम इकलौते मुस्लिम विधायक बने हैं। पुदुचेरी में भी मुस्लिम आबादी छह प्रतिशत है।

रेडियंस (7 मई) के अनुसार 2014 के बाद से पूरे देश की राज्य विधानसभाओं में मुस्लिम विधायकों की संख्या में तेजी से गिरावट आई है। इससे देश के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हो रहे बदलाव का संकेत मिलता है। 2013 में देश में मुस्लिम विधायकों की संख्या 339 थी, जो अब घटकर 282 हो गई है। खास बात यह है कि मुस्लिम विधायकों की संख्या में सबसे ज्यादा गिरावट उन राज्यों में हुई है जिनमें मुसलमानों की आबादी अधिक है। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम आबादी 19 प्रतिशत है। 403 सदस्यीय उत्तर प्रदेश विधानसभा में सिर्फ 31 मुस्लिम विधायक हैं, जो पहले 63 थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा में मुस्लिम विधायकों की संख्या 59 से घटकर 40 रह गई है। बिहार में मुस्लिम विधायकों की संख्या 19 से घटकर 11 और राजस्थान में 11 से घटकर छह रह गई है। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या 27 प्रतिशत है, जबकि विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व सिर्फ 13 प्रतिशत रह गया है।

असम में मुसलमानों की जनसंख्या 35 प्रतिशत है, लेकिन विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व केवल 17 प्रतिशत है। इस समय सबसे ज्यादा मुस्लिम विधायक कांग्रेस के हैं, जिनकी संख्या 61 है। इसके बाद क्रमशः नेशनल कांफ्रेंस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी और मुस्लिम लीग का स्थान आता है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि भारतीय लोकतंत्र की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि देश का एक बड़ा वर्ग राजनीतिक दृष्टि से हाशिए पर धकेल दिया गया है। आज देश के करोड़ों मुसलमान ऐसे दोराहे पर खड़े हैं, जहां उनके वोट तो कीमती हैं, लेकिन लोकतांत्रिक ढांचे में उनका प्रतिनिधित्व अर्थहीन हो चुका है। हाल ही में पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों में यह साबित हो गया है कि भले ही मुसलमानों की संख्या कुछ भी हो, लेकिन उनकी राजनीतिक स्थिति संदिग्ध है। अब वे भारतीय राजनीति में सिर्फ वोट डालने वाली मशीन बनकर रह गए हैं।

समाचारपत्र के अनुसार एक जमाना था जब मुसलमान किसी भी सरकार को सत्ता में लाने या उसे सत्ता से हटाने की ताकत रखते थे, इसलिए सभी राजनीतिक दल मुसलमानों के दरवाजे पर दस्तक दिया करते थे। आज स्थिति यह है कि मुसलमानों से वोट तो लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें सत्ता में शामिल करना राजनीतिक खतरा समझा जाता है। यह कैसा लोकतंत्र है, जहां पर मुसलमान 70-80 प्रतिशत मतदान करके भी विधानसभा और संसद में केवल दो-तीन प्रतिशत प्रतिनिधित्व ही हासिल कर पाते हैं। यह कैसा सेक्युलरिज्म है, जहां मुसलमानों के नाम पर राजनीति तो होती है, लेकिन मुसलमानों को राजनीति में जगह देने पर राजनीतिक दलों के हाथ कांपने लगते हैं। हकीकत यह है कि आज देश के विभिन्न राजनीतिक दल मुसलमानों को केवल चुनावी ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं और राजनीति में उनका सुनियोजित बहिष्कार किया जा रहा है। सबसे दुखद बात यह है कि मुसलमानों की राजनीतिक बदहाली पर खुद मुस्लिम नेतृत्व भी विचार करने के लिए तैयार नहीं है।

कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध रद्द

इंकलाब (14 मई) के अनुसार कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भाजपा के शासनकाल में जारी उस आदेश को वापस ले लिया है, जिसके तहत शिक्षण संस्थानों में छात्राओं के हिजाब पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार द्वारा जारी नए आदेश में कहा गया है कि सरकारी और सहायता प्राप्त निजी स्कूलों तथा प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों के छात्र-छात्राएं हिजाब, स्कार्फ, पगड़ी, कलावा, रुद्राक्ष और जनेऊ जैसे धार्मिक प्रतीक पहन सकते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें निर्धारित यूनिफॉर्म भी पहननी होगी। कर्नाटक के शिक्षा मंत्री मधु बंगारप्पा ने कहा कि किसी भी छात्र या छात्रा को धार्मिक व पारंपरिक पहचान की वजह से कक्षा,

परीक्षा स्थल या संस्थान के परिसर में प्रवेश करने से नहीं रोका जाएगा।

गौरतलब है कि दिसंबर 2021 में उडुपी में हिजाब का विवाद शुरू होने के बाद राज्य की तत्कालीन भाजपा सरकार ने फरवरी 2022 में शिक्षण संस्थानों में स्कार्फ और हिजाब आदि पहनने पर रोक लगा दी थी। राज्य के मुस्लिम पक्ष ने इस सरकारी फैसले को अदालत में चुनौती दी थी, लेकिन मार्च 2022 में कर्नाटक उच्च न्यायालय ने इस आदेश को बरकरार रखते हुए कहा था कि हिजाब पहनना इस्लाम में अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है। बाद में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, लेकिन न्यायाधीशों में इस मुद्दे पर मतभेद रहा, इसलिए इस मामले को सुनवाई के लिए एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया गया।

मुंबई उर्दू न्यूज (12 मई) के अनुसार मुस्लिम संगठनों ने 16 मई को कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के खिलाफ राज्यव्यापी विरोध-प्रदर्शन करने की घोषणा की थी। मुसलमानों की यह शिकायत थी कि चुनावी घोषणापत्र में उनके लिए जो 10 वायदे किए गए थे, उन्हें सत्तारूढ़ दल ने पूरा नहीं किया है। इन वादों में हिजाब पर प्रतिबंध को रद्द करना, गोहत्या निरोधक कानून को निरस्त करना, मुस्लिम आरक्षण को बहाल करना, बजट में मुसलमानों की विशेष हिस्सेदारी, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, वक्फ संपत्ति का संरक्षण और धर्मांतरण विरोधी कानून की वापसी जैसे मुद्दे शामिल थे। बताया जाता है कि मुसलमानों की नाराजगी को देखते हुए राज्य की कांग्रेस सरकार ने हिजाब पर प्रतिबंध को वापस लेने की घोषणा की है।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (17 मई) ने अपने संपादकीय में कर्नाटक में हिजाब पर प्रतिबंध को वापस लेने के फैसले का स्वागत किया है। समाचारपत्र का कहना है कि यह सिर्फ एक फैसला नहीं है, बल्कि राज्य की बदलती हुई राजनीति और मुसलमानों के बढ़ते हुए प्रभाव का संकेत है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हिजाब पर प्रतिबंध गलत था तो इसे तीन साल तक क्यों जारी रखा गया? अगर कांग्रेस इसके खिलाफ थी तो उसने सत्ता में आते ही इसे क्यों नहीं हटाया? सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे

मामले को केवल सीमित धार्मिक स्वतंत्रता की दृष्टि से देखना सच्चाई से आंखें मूंद लेना होगा। इसका असली कारण राज्य में मुस्लिम और ब्राह्मण मतदाताओं की बढ़ती हुई नाराजगी है।

समाचारपत्र ने दावा किया है कि हिजाब विवाद के कारण कई मुस्लिम छात्राओं को अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़नी पड़ी थी। भाजपा ने राजनीतिक लाभ के लिए इस मामले को हिंदुओं के लिए खतरे के रूप में पेश किया और इसे समान नागरिक संहिता के मुद्दे से जोड़ दिया। आश्चर्य की बात है कि भाजपा को सिखों की पगड़ी पर ऐसी पाबंदी लगाने की हिम्मत कभी नहीं हुई। इस प्रतिबंध के कारण मुसलमानों की एक बड़ी आबादी ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद कांग्रेस ने मुसलमानों से किए अपने सभी वादों को ठंडे बस्ते में डाल दिया। अब उपचुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार की हार के बाद सरकार की आंखें खुली हैं और उसे हिजाब पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला करना पड़ा है। उल्लेखनीय है कि हाल ही में आयोजित सीईटी की परीक्षाओं के दौरान ब्राह्मण छात्रों को जनेऊ उतारने पर विवश किया गया था। इससे ब्राह्मणों में भी कांग्रेस के प्रति नाराजगी बढ़ी थी, इसलिए सरकार को इस फैसले को वापस लेना पड़ा।

मुंसिफ (15 मई) ने अपने संपादकीय में कहा है कि तत्कालीन भाजपा सरकार ने हिजाब पर जो प्रतिबंध लगाया था उसे हटाने में कांग्रेस सरकार को तीन साल लग गए। हालांकि, कांग्रेस ने 2023 के विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में इस फैसले को वापस लेने का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद उसने इस मामले को यह कहकर ठंडे बस्ते में डाल दिया कि यह मामला अदालत में विचाराधीन है। अब मुसलमानों के दबाव के कारण कांग्रेस सरकार को हिजाब पर से प्रतिबंध हटाने का फैसला करना पड़ा है।

औरंगाबाद टाइम्स (15 मई) के अनुसार कर्नाटक सरकार का यह फैसला स्वागत योग्य है, क्योंकि इसके कारण मुसलमानों के साथ अन्याय का एक अध्याय खत्म हो गया है। समाचारपत्र ने लिखा है कि यह फैसला तत्कालीन भाजपा सरकार ने अपनी मुस्लिम विरोधी भावना के तहत किया था। समाचारपत्र का कहना है कि भाजपा के मुस्लिम विरोधी रुख में दिन-प्रतिदिन तेजी आती जा रही है।

विश्व

पाकिस्तान में बलूच लिबरेशन फ्रंट के हमले तेज

हमारा समाज (14 मई) के अनुसार बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट (बीएलएफ) के प्रवक्ता मेजर ग्वाहरम बलूच ने मीडिया को जारी एक बयान में दावा किया है कि पिछले सप्ताह बीएलएफ के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सात सैन्य शिविरों पर हमले किए। इन हमलों में कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। बयान में कहा गया है कि पहली कार्रवाई में बीएलएफ के लड़ाकों ने 10 मई को सुराब क्षेत्र में रॉकेट लॉन्चरों और मशीनगनों से पाकिस्तानी सेना के वाहनों के एक काफिले को निशाना बनाया। इस हमले में दो सैन्य वाहन पूरी तरह से तबाह हो गए, जिससे पांच सैनिक मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इसी रात में एक सैन्य चौकी पर हमले और हथियार लूटने का भी दावा किया गया है। बीएलएफ ने यह भी दावा किया कि 11 मई को खारान क्षेत्र मे फ्रंटियर कोर के एक शिविर पर हमला किया गया, जिसमें दो लोग मौके पर ही मारे गए और कई अन्य घायल हो गए। इसके अतिरिक्त 7 मई को कोलवाह के मल्लार धंब क्षेत्र में निगरानी उपकरणों से लैस एक संचार टावर पर हमला करके उसे नष्ट कर दिया गया, जिससे पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान हुआ। इसके अतिरिक्त 6 मई को मस्तुंग में पाकिस्तानी सेना के एक शिविर पर हमला करके कई सैनिकों को बंधक बना लिया गया। पाकिस्तानी सेना ने इन हमलों की पुष्टि की है और कहा है कि बलूच विद्रोहियों के खिलाफ पूरे बलूचिस्तान में सैन्य अभियान तेज कर दिया गया है।

चट्टान (5 फरवरी) के अनुसार अमेरिकी अखबार 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका और पाकिस्तान के बीच खनिज पदार्थों के उत्खन्न को लेकर हुआ समझौता बलूच लिबरेशन आर्मी (बीएलए) के लगातार हमलों के कारण खटाई में पड़ता नजर आ रहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से इस संदर्भ में मुलाकात की थी। इसके बाद ट्रम्प प्रशासन ने बलूचिस्तान में तांबे के खनन के लिए अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा

की थी। गौरतलब है कि बलूचिस्तान में सोने और तांबे के खनन पर अभी तक मुख्य रूप से चीनी कंपनियों का दबदबा रहा है, लेकिन अब पाकिस्तान ने बलूचिस्तान के खनिज पदार्थों के दोहन के दरवाजे अमेरिका के लिए भी खोल दिए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार बीएलए ने पिछले महीने बलूचिस्तान में 12 विभिन्न क्षेत्रों में 14 से अधिक हमले किए, जिसमें लगभग 58 लोग मारे गए। मरने वालों में कुछ अमेरिकी नागरिक भी शामिल थे। इन हमलों के कारण अब अमेरिकी इंजीनियरों ने बलूचिस्तान में जाकर काम करने से साफ इनकार कर दिया है।

चट्टान (15 मई) के अनुसार बलूचिस्तान में स्थित ग्वादर यूनिवर्सिटी के कुलपति और उपकुलपति सहित चार लोगों का अपहरण कर लिया गया है। सरकारी सूत्रों के अनुसार अपहृत लोगों में कुलपति डॉ. अब्दुल रज्जाक साबिर, उपकुलपति डॉ. मंजूर अहमद और उनके दो सहयोगी शामिल हैं, जो एक आधिकारिक बैठक के लिए ग्वादर से क्वेटा जा रहे थे। रास्ते में कुछ अज्ञात हमलावरों ने उनका अपहरण कर लिया। गौरतलब है कि डॉ. अब्दुल रज्जाक साबिर को बलूचिस्तान सरकार ने 2021 में नवनिर्मित ग्वादर यूनिवर्सिटी का पहला कुलपति नियुक्त किया था।

नेपाल में रोहिंग्या मुसलमानों की घुसपैठ पर रोक

उर्दू टाइम्स (12 मई) के अनुसार नेपाल सरकार ने अपने देश में रोहिंग्या मुसलमानों की अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है। यह फैसला इसलिए किया गया है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में भाजपा के सत्ता में आने के बाद वहां अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के बड़ी संख्या में नेपाल में घुसने की आशंका है। मोरंग जिले के सहायक प्रमुख जिला अधिकारी सरोज कोइराला ने बताया कि अब भविष्य में नेपाल में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति को अपना पहचान-पत्र दिखाना होगा। नेपाल सरकार ने सीमा रक्षकों की चौकियों को देश में अवैध घुसपैठ को सख्ती से रोकने के आदेश दिए हैं।

नेपाली मीडिया में प्रकाशित समाचारों के अनुसार रोहिंग्या घुसपैठिए बड़ी संख्या में नेपाल में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं। सुरक्षा बलों को कड़ा निर्देश दिया गया है कि वे नेपाल आने वाली सड़कों और ट्रेनों की चेकिंग सख्त करें तथा प्रत्येक यात्री के पहचान-पत्र की बारिकी से जांच करें। नेपाल सरकार ने इन घुसपैठियों को रोकने के लिए प्रशिक्षित कुत्तों का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है, जो सीमा सुरक्षाकर्मियों के साथ सीमा पर गश्त कर रहे हैं।

सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि रोहिंग्या घुसपैठियों की संभावित घुसपैठ को रोकने के लिए नेपाल सरकार ने भारत से लगने वाली सीमाओं पर सीमा सुरक्षा बल की संख्या में भारी बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नेपाली मीडिया के अनुसार सीमा प्रहरियों की संख्या बढ़ाकर दोगुनी कर दी गई है। नेपाल के विदेश मंत्रालय ने भारत के विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वे अपने देश से अवैध घुसपैठ को रोकने के लिए नेपाल सरकार का सहयोग करें। ■

बांग्लादेश में गंभीर वित्तीय संकट

औरंगाबाद टाइम्स (10 मई) के अनुसार दिसंबर 2025 तक बांग्लादेश पर कुल सरकारी कर्ज 22 लाख करोड़ रुपये को पार कर गया है। बांग्लादेश के वित्त मंत्रालय के ताजा तिमाही बुलेटिन के मुताबिक कुल कर्ज में से तीन लाख करोड़ रुपये अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान लिए गए थे। अंतरिम सरकार के आने से ठीक एक महीने पहले सरकारी कर्ज 18.9 लाख करोड़ रुपये था, जबकि जून 2022 के अंत में यह आंकड़ा 13.44 लाख करोड़ रुपये था। दिसंबर 2025 तक देश का घरेलू कर्ज बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपये हो गया, जबकि विदेशी कर्ज 9.59 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया। नई सरकार कर्ज के इस बोझ को कम करने और विदेशी मुद्रा के जोखिम से बचने के लिए घरेलू कर्ज पर अधिक निर्भर रहने की नीति अपना रही है।

समाचारपत्र के अनुसार साल 2025 के जुलाई से दिसंबर की अवधि के दौरान सरकार के शुद्ध कर्ज में 62,428 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई, जो पिछले साल के मुकाबले कुल कर्ज बजटीय लक्ष्य में 13 प्रतिशत की बढ़ोतरी को दर्शाता है। साल 2025 की छमाही में विदेशी कर्ज लेने में 59 प्रतिशत की कमी आई है, जबकि घरेलू कर्ज में 70 प्रतिशत की भारी वृद्धि हुई है और यह 52,298 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ■

शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद भ्रष्टाचार के आरोप से बरी

कौमी भारत (8 मई) के अनुसार पाकिस्तान की भ्रष्टाचार निरोधक अदालत ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेटी राबिया इमरान और दामाद अली इमरान यूसुफ को भ्रष्टाचार के आरोपों से बरी कर दिया है। भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने उन पर जल आपूर्ति परियोजना में 180 करोड़ रुपये के घोटाले का आरोप लगाया था। विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने कहा कि विभाग इस कथित घोटाले में इन दोनों की भूमिका का कोई ठोस सबूत जुटाने में नाकाम रहा। विभाग ने अदालत में जो अपनी जांच रिपोर्ट पेश की है उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है। अदालत ने कहा कि वह इस मामले से 31 जनवरी 2022 को ही बाकी आरोपियों को बरी कर चुकी है।

अदालत के अनुसार राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जब साल 2020 में यह मामला दर्ज किया था तब सरकारी फंड में 350 करोड़ रुपये के घोटाले का दावा किया गया था। आरोपियों ने फर्जी टेंडर और अधूरी परियोजनाओं के झूठे आंकड़े सरकार को दिखाए थे। उन्होंने परियोजना के नाम पर सरकारी खजाने से पैसा निकाला, लेकिन बाद में विभाग अदालत में इसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं दे पाया। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के जिन जांच अधिकारियों ने इस मामले की जांच की थी उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में निर्दोष लोगों को फंसाने का यह सिलसिला रुक सके।

ऑस्ट्रेलिया की मस्जिद में नमाजियों की हत्या की धमकी

औरंगाबाद टाइम्स (12 मई) के अनुसार एक व्यक्ति ने ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में स्थित बाल्ड हिल्स की 'मस्जिद तकवा' में घुसकर वहां मौजूद नमाजियों को डराने और धमकाने का प्रयास किया। उसने दावा किया कि उसकी गाड़ी में एके-47 राइफल रखी हुई है। हालांकि, वहां मौजूद नमाजियों ने सूझबूझ दिखाई और उसे मस्जिद परिसर से खदेड़ दिया। बाद में पुलिस ने इस 33 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। उस पर धार्मिक स्थल पर बाधा डालने, जनता में डर फैलाने और शांति भंग करने के आरोप लगाए गए हैं। इस घटना के बाद ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुस्लिम समुदाय में गहरी चिंता और असुरक्षा का माहौल है। स्थानीय सांसद बिस्मा आसिफ ने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया जैसे शांतिप्रिय देश में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ भड़क रही नफरत की ज्वाला को रोकने के लिए सरकार को तुरंत और सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए।

हिंदुस्तान (6 मई) के अनुसार पूर्वी जर्मनी के शहर लाइपजिग में एक संदिग्ध अपराधी ने भीड़ पर कार चढ़ा दी, जिससे दो लोग मौके पर ही मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। लाइपजिग के मेयर बर्कहार्ड जंग ने बताया कि इस 33 वर्षीय अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मरने वालों में एक 77 वर्षीय पुरुष और एक 63 वर्षीय महिला शामिल हैं। इसके अतिरिक्त कई घायलों की स्थिति नाजुक है।

पश्चिम एशिया

यूएई द्वारा भारत में पांच अरब डॉलर निवेश की घोषणा

एतेमाद (15 मई) के अनुसार यूएई ने भारत में पांच अरब डॉलर निवेश करने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त दोनों देशों ने ऊर्जा, रक्षा, जहाजरानी और सुपरकंप्यूटर क्षेत्र से संबंधित समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब अपने यूएई दौरे पर अबू धाबी पहुंचे तो वहां उनका विशेष स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री का विशेष विमान 'एयर इंडिया वन' जैसे ही अबू धाबी की वायुसीमा में प्रवेश किया, यूएई के अत्याधुनिक एफ-16 फॉल्कन लड़ाकू विमानों ने हवा में उन्हें एस्कॉर्ट कर उनका स्वागत किया। भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी और यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल-नाहयान ने पश्चिम एशिया की स्थिति पर विस्तृत बातचीत की। मोदी ने यूएई पर हाल ही में हुए हमलों और उसकी संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता को भंग करने के प्रयासों की कड़ी शब्दों में निंदा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय स्थिरता, शांति और खुशहाली के लिए संयुक्त रूप से प्रयास करने की घोषणा की।

हिंदुस्तान एक्सप्रेस (19 मई) ने अपने संपादकीय में आशा व्यक्त की है कि प्रधानमंत्री मोदी के यूएई दौरे से दोनों देशों के बीच भागीदारी के एक नए युग की शुरुआत होगी। खास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूएई पर हो रहे मिसाइल और ड्रोन हमलों की खुलकर निंदा की है। नरेन्द्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि जिस तरह से यूएई को निशाना बनाया जा रहा है उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री ने होर्मुज जलडमरूमध्य की नाकेबंदी पर भी चिंता प्रकट की। इससे साफ है कि भारत अब अंतरराष्ट्रीय मंचों पर यूएई के हितों और सुरक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में रख रहा है।

भारत ने यूएई से एलपीजी खरीदने को लेकर भी एक बड़ा समझौता किया है। यह समझौता 'इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन' और 'अबू

धाबी नेशनल ऑयल कंपनी' के बीच हुआ है। यूएई स्थित भारतीय राजदूत दीपक मित्तल ने कहा कि इस समझौते के कारण भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में काफी सहायता मिलेगी। इस समय भारत को यूएई से 55 लाख बैरल कच्चे तेल की आपूर्ति हो रही है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर तीन करोड़ बैरल तक किए जाने की संभावना है। यूएई में इस समय 35 लाख भारतीय नागरिक रह रहे हैं, जो दोनों देशों के बीच के मजबूत आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों का एक बड़ा संकेत है।

यूएई के परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर ड्रोन हमला

एतेमाद (18 मई) के अनुसार संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) सरकार ने इस बात की पुष्टि की है कि अबू धाबी में स्थित 'बराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र' पर ड्रोन हमला हुआ है। इस हमले के कारण संयंत्र के बाहरी हिस्से में आग लग गई है। अबू धाबी के मीडिया कार्यालय के मुताबिक इस घटना में जान-माल का कोई नुकसान नहीं हुआ है। इसके साथ ही संयंत्र की सुरक्षा और विकिरण स्तर पर भी कोई बुरा असर नहीं पड़ा है। अबू धाबी सरकार ने जनता से अपील की है कि वे अफवाहों पर विश्वास न करें और भयभीत न हों। नागरिकों को सिर्फ और सिर्फ सरकारी रिपोर्ट पर ही भरोसा करना चाहिए। सरकार ने सख्त चेतावनी दी है कि इस संदर्भ में जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर या किसी अन्य माध्यम से अफवाह फैलाएगा या इससे जुड़ा कोई भ्रामक समाचार प्रसारित करेगा तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी।

'अल जजीरा' की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका और ईरान के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बावजूद यूएई पर ईरानी हमलों का सिलसिला जारी है। ईरान ने पहले यह घोषणा की थी कि वह खाड़ी देशों में स्थित अमेरिकी अड्डों पर अपने हमलों का सिलसिला जारी रखेगा और किसी भी नागरिक प्रतिष्ठान को निशाना नहीं बनाएगा। इसके बाद भी ईरान द्वारा लगातार सऊदी अरब, जॉर्डन और यूएई में स्थित ठिकानों को ड्रोन तथा मिसाइल हमलों का निशाना बनाया जा रहा है। इसके कारण दोनों देशों के बीच संबंधों में दिन प्रतिदिन तनाव बढ़ता जा रहा है। यूएई ने पिछले सप्ताह भी यह गंभीर आरोप लगाया था कि ईरान ने 'फुजैराह पोर्ट' पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमले किए हैं। इस हमले के कारण कई लोग घायल हो गए थे, जिसमें तीन भारतीय नागरिक भी शामिल थे। इन लगातार हमलों के कारण फुजैराह पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज जोन में स्थित तेल शोधक कारखानों में भीषण आग लग गई थी।

कौमी तंजीम (19 मई) के अनुसार खाड़ी सहयोग परिषद के महासचिव जासेम मोहम्मद अल-बुदैवी ने ईरान द्वारा किए जा रहे हमलों की कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि इन हमलों के कारण क्षेत्रीय शांति खतरे में पड़ गई है और राजनीतिक अस्थिरता में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने सभी खाड़ी देशों से अपील की है कि वे उन देशों को अपना पूरा सहयोग दें, जिन पर ईरान द्वारा हमले किए जा रहे हैं।

एतेमाद (6 मई) के अनुसार यूएई ने ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की है। यूएई के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आरोप लगाया है कि ईरान नागरिक स्थानों और अन्य महत्वपूर्ण ठिकानों को मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बना रहा है। ये हमले देश की संप्रभुता, सुरक्षा, स्थिरता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए बड़ा खतरा हैं। यूएई ने स्पष्ट किया है कि वह अपनी सुरक्षा और संप्रभुता पर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा तथा अंतरराष्ट्रीय कानूनों के तहत इन हमलों का जवाब देगा।

दूसरी ओर, ईरानी सेना ने इस बात का खंडन किया है कि ईरान यूएई को अपने हमलों का निशाना बना रहा है। एक ईरानी सैन्य प्रवक्ता ने ईरान के सरकारी टेलीविजन चैनल पर बताया कि ईरान का इरादा पड़ोसी देशों के नागरिक एवं पेट्रोलियम ठिकानों को निशाना बनाने का कतई नहीं है। अमेरिका जिस तरह से होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्र में ईरानी नौसेना को अपना निशाना बना रहा है, वे सिर्फ उन हमलों का जवाब दे रहे हैं। वहीं, यूएई के प्रवक्ता ने ईरान के इस दावे का खंडन करते हुए कहा है कि ईरान का यह दावा सरासर गलत है कि वह हमारे किसी नागरिक या पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित संयंत्र को अपना निशाना नहीं बना रहा है।

उर्दू टाइम्स (14 मई) के अनुसार कुवैत ने गंभीर आरोप लगाया है कि ईरान के सैनिक उसके क्षेत्र में घुसे, जिसके बाद उनके साथ कुवैती सेना की हिंसक झड़पें हुईं। यूएई के बाद खाड़ी क्षेत्र में कुवैत ईरानी हमलों का दूसरा सबसे बड़ा पीड़ित बनता जा रहा है। हाल ही में ईरान ने

अपने सशस्त्र सैनिकों को बुबियान द्वीप पर कब्जा करने के लिए भेजा था। गौरतलब है कि बुबियान कुवैत का सबसे बड़ा द्वीप माना जाता है, जो फारस की खाड़ी में स्थित है। इसका कुल क्षेत्रफल 860 वर्ग किलोमीटर है। ईरान का दावा है कि इस द्वीप पर अमेरिका ने एक सैन्य अड्डा बना रखा है, इसलिए ईरानी सेना को उसके खिलाफ जमीनी कार्रवाई करनी पड़ी थी।

इजरायल में फिलिस्तीनी कैदियों को मौत की सजा

एतेमाद (19 मई) के अनुसार इजरायल ने एक नया कानून लागू किया है। इसके तहत अगर कोई फिलिस्तीनी किसी यहूदी या इजरायली सैनिक की हत्या करता है या उससे जुड़ी किसी साजिश में भाग लेता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी। इस नए कानून के अनुसार अदालत द्वारा जिस व्यक्ति को मौत की सजा सुनाई जाएगी, वह उसके खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकेगा और उसे तीन महीने के भीतर फांसी पर लटका दिया जाएगा।

इजरायली अखबार 'द टाइम्स ऑफ इजरायल' में प्रकाशित एक समाचार के अनुसार इजरायली सेना की सेंट्रल कमांड के प्रमुख एवी ब्लुथ ने वेस्ट बैंक में इस कानून को लागू करने के लिए जरूरी सैन्य आदेश पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। गौरतलब है कि इजरायली संसद ने 30 मार्च 2026 को एक कानून पारित किया था। इसके तहत आतंकवादी हमलों में भाग लेने वाले फिलिस्तीनियों के लिए अनिवार्य रूप से मौत की सजा देने की व्यवस्था की गई थी। इस कानून को उच्च न्यायालय में चुनौती भी दी गई थी, लेकिन अदालत ने उसे खारिज कर दिया। आठ मुस्लिम देशों- सऊदी अरब, कतर, जॉर्डन, संयुक्त अरब अमीरात, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, तुर्की और मिस्र ने इस कानून का कड़ा विरोध किया है। इन देशों का अरोप है कि इजरायली सरकार तानाशाही तरीके से विरोध की आवाज को दबाना चाहती है।

एक अन्य समाचार के अनुसार फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने इस कानून को खतरनाक और अंतरराष्ट्रीय नियमों व मानवाधिकारों के खिलाफ करार दिया है। हमास ने कहा है कि "हमारी जनता जो इजरायल के अवैध कब्जे के खिलाफ संघर्ष कर रही है, उसे इजरायल सरकार दबाना चाहती है। इजरायल के खात्मे का हमारा अभियान लगातार जारी रहेगा।" बयान में यह भी कहा गया है कि इजरायली जेलों में कम से कम 10 हजार फिलिस्तीनी बंद हैं, जिन्हें इस काले कानून के तहत मौत के घाट उतारने का रास्ता खोल दिया गया है।

एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा के 60 प्रतिशत हिस्से पर इजरायल का नियंत्रण है। हाल ही में हमास के सैन्य विंग के एक प्रमुख नेता को भी इजरायली सेना ने मार गिराया है। फ्रांसीसी न्यूज एजेंसी 'एएफपी' के अनुसार 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले में इजरायल के 1221 नागरिक मारे गए थे। इसकी जवाबी कार्रवाई के तौर पर गाजा में अब तक 72,763 फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं।

चट्टान (19 मई) का कहना है कि इजरायल का यह नया कानून न्याय व्यवस्था का मजाक है और हैरानी की बात है कि संयुक्त राष्ट्र ने भी इस मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।

इजरायल द्वारा हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले

कौमी तंजीम (18 मई) के अनुसार इजरायली सेना ने दावा किया है कि पिछले दो दिनों में उसने लेबनान में स्थित हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह इन ठिकानों से लगातार इजरायल पर हमले कर रहा था, इसलिए देश की सुरक्षा के लिए हिजबुल्लाह के इन ठिकानों को निशाना बनाना जरूरी था। दूसरी ओर, लेबनान सरकार ने आरोप लगाया है कि इजरायली हमलों के कारण अब तक तीन हजार से अधिक लेबनानी नागरिक मारे जा चुके हैं और 10 हजार से अधिक लोग घायल हुए हैं।

गौरतलब है कि अमेरिका की मध्यस्थता में हुई वार्ता के बाद दोनों देशों के बीच युद्धविराम की घोषणा की गई थी, लेकिन इसके बावजूद इजरायली सेना लगातार लेबनान पर हमले कर रही है। वह लेबनान के भीतर घुसकर 10 किलोमीटर के क्षेत्र पर कब्जा कर चुकी है। लेबनान की सरकारी न्यूज एजेंसी का दावा है कि इजरायली सेना सीमा से 50 किलोमीटर से भी अधिक दूर के क्षेत्रों पर हमले कर रही है। इन हमलों के कारण 10 लाख से भी अधिक लोग बेघर हो चुके हैं और लेबनान के 21 सैनिक भी मारे गए हैं।

उर्दू टाइम्स (13 मई) के अनुसार हिजबुल्लाह के महासचिव नईम कासिम ने दावा किया है कि हिजबुल्लाह किसी भी कीमत पर अपने हथियार किसी भी संगठन के हवाले नहीं करेगा, बल्कि इजरायल के खिलाफ अपनी सैन्य कार्रवाई जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि इस समय लेबनान एक संयुक्त इजरायली-अमेरिकी योजना का सामना कर रहा है, जिसका लक्ष्य लेबनान को 'ग्रेटर इजरायल' में शामिल करना है। हिजबुल्लाह के प्रमुख ने घोषणा की है कि हिजबुल्लाह का लेबनान और इजरायल के बीच हुए युद्धविराम से कोई संबंध नहीं है और वह इजरायली सेना पर अत्याधुनिक हथियारों से हमलों का सिलसिला और तेज कर रहा है।

कौमी तंजीम (15 मई) के अनुसार लेबनान ने पहली बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को एक आधिकारिक शिकायत भेजी है, जिसमें यह आरोप लगाया है कि ईरान लेबनान के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहा है। वह लेबनान की मर्जी के खिलाफ उसे इजरायल के साथ युद्ध में घसीट रहा है। लेबनान सरकार ने कहा है कि हिजबुल्लाह के साथ-साथ ईरानी मिलिशिया पासदारान-ए-इंकलाब (आईआरजीसी) भी इजरायल पर लगातार हमले कर रही है। इसके कारण दोनों देशों के बीच हुए युद्धविराम के बावजूद इजरायल को लेबनान पर जवाबी हमले करने का मौका मिल रहा है। लेबनान ने स्पष्ट किया है कि ईरान द्वारा लेबनान के आंतरिक मामलों में निरंतर हस्तक्षेप किए जाने के कारण वह लेबनान स्थित ईरानी राजदूत मोहम्मद रजा शैबानी को निष्कासित कर चुका है। लेबनान ने यह भी आरोप लगाया है कि ईरान द्वारा हिजबुल्लाह को ईरानी हथियारों के अतिरिक्त भारी मात्रा में अवैध रूप से वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है।

ग्रेटर इजरायल योजना की आलोचना

एतेमाद (12 मई) के अनुसार कतर के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हमद बिन जसीम अल थानी ने अलजजीरा के साथ एक इंटरव्यू में कहा है कि अमेरिका और इजरायल की ईरान के साथ चल रही जंग कोई अचानक उपजा तनाव नहीं है, बल्कि यह इजरायल सरकार की 'ग्रेटर इजरायल' योजना का हिस्सा है। इस योजना को अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। उन्होंने कहा कि यह हैरानी की बात है कि खाड़ी देश इस खतरनाक योजना को समझने और इसका सामना करने के लिए एकजुट होने में नाकाम रहे हैं। इजरायल की इस खतनाक योजना को मिट्टी में मिलाने के लिए जरूरी है कि खाड़ी क्षेत्र के सभी देश आपसी मतभेदों को भुलाकर एकजुट हों।

अल थानी ने चेतावनी दी कि अगर हम एकजुट नहीं हुए तो इजरायल की विस्तारवादी नीति के कारण इस क्षेत्र के अनेक अरब देशों का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। उन्होंने दावा किया कि एक साल पहले भी उन्होंने इस संभावित खतरे की ओर सभी अरब देशों को सतर्क किया था। उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि खाड़ी देश अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए ईरान के साथ अपने विवादों को राजनयिक स्तर पर सुलझाने का प्रयास करें ताकि इस्लामी देशों के आपसी झगड़ों का दुश्मन ताकतें अपने हितों के लिए इस्तेमाल न कर सकें, लेकिन उनकी इस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया।

कतर के पूर्व प्रधानमंत्री ने यह भी दावा किया कि इजरयाल में एक कट्टरपंथी यहूदी गिरोह दिन-प्रतिदिन शक्तिशाली हो रहा है, जो हर कीमत पर 'ग्रेटर इजरायल' की अपनी परिकल्पना को साकार करने हेतु कटिबद्ध है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 1990 के दशक से ही ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आड़ लेकर अमेरिका को ईरान और इजरायल के युद्ध में धकेलने का प्रयास कर रहे हैं। प्रारंभ में अमेरिका ईरान के साथ युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं था, लेकिन अमेरिका में सक्रिय यहूदी लॉबी ने अमेरिकी प्रशासन को यह आश्वासन दिया था कि यह एक संक्षिप्त युद्ध होगा और ईरान आत्मसमर्पण कर देगा। हालांकि, ईरान ने वेनेजुएला की तरह अमेरिका के सामने झुकने से इनकार कर दिया और वह लगातार टक्कर ले रहा है। उन्होंने कहा कि इस पूरे टकराव का राजनीतिक लाभ इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हुआ है। वे अमेरिका को इस युद्ध में धकेलकर उसे ग्रेटर इजरायल की योजना में भागीदार बनाने में सफल हुए हैं। ■

RNI No. DELHIN/2017/72722

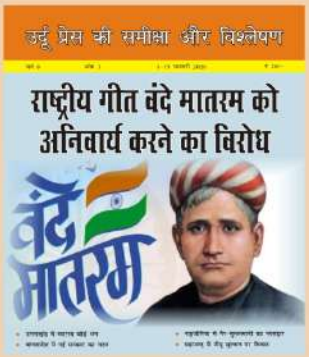

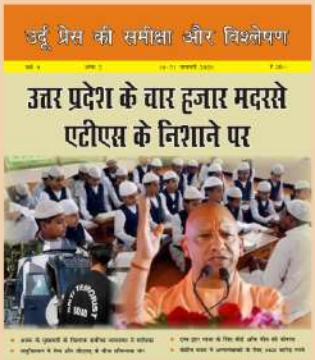

भारत नीति प्रतिष्ठान
India Policy Foundation
डी-51, प्रथम तल, हौजखास, नई दिल्ली-110016
दूरभाष : 011-79687620
ईमेल : info@ipf.org.in, indiapolicy@gmail.com
वेबसाइट : www.ipf.org.in